भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-656

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत पारेषण क्षमता

656. श्री के. राधाकृष्णनः

डॉ. अमर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में विद्युत पारेषण क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2032 तक विद्युत पारेषण क्षमता में लक्षित 35 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त करने के लिए किन्हीं प्रमुख अंतरिम मील के पत्थर को चिन्हित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रिड स्थायित्व और प्रचालनात्मक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विस्तारित पारेषण नेटवर्क के भीतर एकीकृत करने के लिए कार्यान्वित की जा रही कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और इन पारेषण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्रभावित करने वाली अन्य संभावित बाधाओं जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : 31 मार्च 2014 तक की स्थिति के अनुसार, पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की) में देश में 2,91,336 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें और 5,30,546 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) परिवर्तन क्षमता और 35,950 मेगावाट (मेगावाट) की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता शामिल है।

पिछले 10 वर्षों में पारेषण लाइनों (220 केवी और अधिक) और परिवर्तन क्षमता (220 केवी और अधिक) और अंतर-क्षेत्रीय क्षमता में वर्ष-वार वृद्धि निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	पारेषण लाइन (सीकेएम में)	परिवर्तन क्षमता (एमवीए में)	अंतर-क्षेत्रीय क्षमता (मेगावाट में)
2014-15	22101	65554	7900
2015-16	28114	62849	15200
2016-17	26300	81816	16000
2017-18	23119	86193	11400
2018-19	22437	72705	12600
2019-20	11664	68230	3000
2020-21	16750	57575	3000
2021-22	14895	78982	7200
2022-23	14625	75902	0
2023-24	14203	70728	6,490
2024-25 (31 अक्तूबर-2024 तक)	4762	33265	0

31 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर का) में 4,90,306 सीकेएम पारेषण लाइन और 12,84,345 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 1,18,740 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता शामिल है।

(ख) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) अक्टूबर, 2024 में शुरू की गई है। योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइन और 1,274 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ी जाएगी। वर्ष 2031-32 तक अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 168 गीगावॉट करने की योजना है।

पारेषण लाइन, परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर) और अंतर-क्षेत्रीय क्षमता का प्रमुख अंतरिम लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक क्रमशः 5,71,403 सीकेएम, 1,847 जीवीए और 143 गीगावाट होगा।

(ग) : ग्रिड स्थिरता और प्रचालनात्मक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तारित पारेषण नेटवर्क, के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों को एकीकृत करने के लिए कार्यान्वित की जा रही रणनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जैसे अभिनव उत्पाद और रुकावट को कम करने के लिए गैर-आरई स्रोतों से विद्युत के साथ संतुलित नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति।
ii. नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/हाइड्रो पावर स्टेशनों के उत्पादन और शेड्यूलिंग में अनुकूलन।
iii. नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) का कार्यान्वयन।
iv. सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए जून 2025 तक तथा अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर 2032 तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
v. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
vi. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नए सब-स्टेशन क्षमता बनाने के लिए भी वित्त पोषित किया गया है।
vii. नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर पूर्वानुमान और नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और रुकावट का प्रबंधन करने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों की सहायता के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित किए गए हैं।
viii. दीर्घकालिक क्षमता नियोजन और ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा संसाधन पर्याप्तता दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) : राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और वन/वन्यजीव मंजूरी से संबंधित मुद्दों को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है। कार्यान्वयन के तहत सभी पारेषण परियोजनाओं की समीक्षा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मासिक रूप से की जाती है और तदनुसार संबंधित राज्य प्राधिकरणों से सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल/ई-समीक्षा पोर्टल/प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) पोर्टल जैसे बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र में भी मुद्दों का समाधान किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 14.06.2024 को पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमि दर को बाजार दर से जोड़ा गया है। इसके अलावा, टावर बेस क्षेत्र और आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए मुआवजे की राशि को भूमि मूल्य का क्रमशः 200% और 30% तक बढ़ा दिया गया है।

****